दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय)

प्रश्न पत्र- द्वितीय

[सामाजिक और राजनीतिक दर्शनः समानता, न्याय, स्वतंत्रता; संप्रभुताः ऑस्टिन, बोदाँ, लॉस्की, कौटिल्य; व्यक्ति और राज्यः अधिकार, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व]

DTVF/17–OPS-P5

निर्धारित समयः तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंकः 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Mukesh kr. Lunayach

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 5, 07/09/2017

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	2	5	5	9	0	5

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): Hindi

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature):

नोटः प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेलः helpline@groupdrishti.com, वेबसाइटः www.drishtiIAS.com
फेसबुकः facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटरः twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

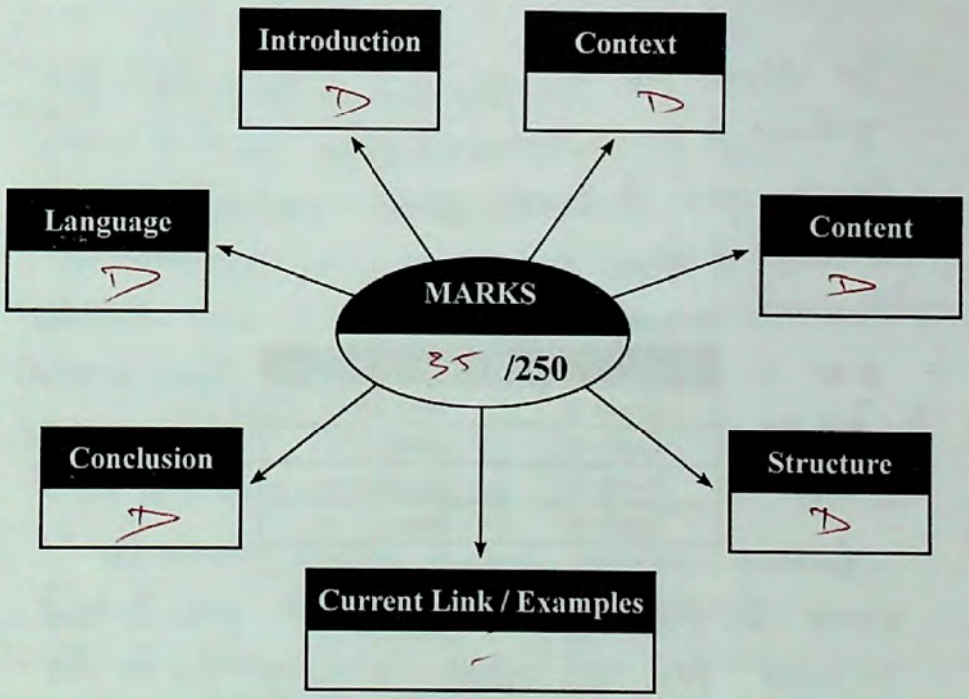

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- अधिकांश उत्तरों में भटकाव है। प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखने का प्रयास करें।
- सभी प्रश्नों को हल करें।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

खण्ड - A / SECTION - A

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें: 10 × 5 = 50

Answer each of the following in about 150 words:

(a) एक हाथ में तुला और दूसरे में तलवार लिये न्याय की मूर्ति आँखों पर पट्टी बाँधे न्याय नहीं कर सकती।

With scale in one hand and sword in another, the lady justice can not do justice with strip on its eyes.

न्याय का सरोकार हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन को संचालित करने वाले उन नियमों या निर्णयों से है जिनके आधार पर सामाजिक लाभों एवं सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है।

वस्तुतः न्याय की मूर्ति आँखों पर पट्टी निष्पक्ष न्याय (Justice as fairness) को सुनिश्चित करती है। निष्पक्ष न्याय वस्तुतः पूर्ण प्रक्रियावादी एवं वितरणात्मक न्याय का समर्थक है जो न्याय की प्राप्ति हेतु निरपेक्ष प्रक्रियाओं के निर्धारण को आवश्यक मानता है। पुनः न्याय के ये सिद्धांत व्यक्ति को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप लाभों का बंटवारा करने का समर्थन करते हैं।

परन्तु न्याय की मूर्ति पर बंधी काली पट्टी द्वारा समर्थित ये न्याय के सिद्धांत तात्विक (substantive) पक्ष की अवहेलना करते हैं। तात्विक न्याय निष्पक्ष प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों में निष्पक्षता का समर्थक है। यह अवसरों की समानता व अंकगणितीय न्याय के बजाय अवसरों की समानता व अंकगणितीय विधि का समर्थक है। समता व योग्यता के संदर्भ में उनको उत्पन्न करने वाली सामाजिक-आर्थिक व लिंग, जन्म, वर्ग आदि के भेद द्वारा उत्पन्न असमानताओं को देखने हेतु मूर्ति की आँखों से पट्टी को हटाना आवश्यक है अर्थात् वास्तविक व सच्चे अर्थों में न्याय की प्राप्ति तात्विक न्याय को अपनाकर ही की जा सकती है। अमर्त्य सेन इसी आधार पर

आँखों पर पट्टी बाँधने का लोकप्रचलित अर्थ भी बताएं।

इस तरह के झुकावों से बचें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

नीति व न्याय में भेद करते हुए समता निर्माण हेतु राज्य की 'निष्क्रिय द्रष्टा' स्थिति के बजाय सक्रिय व लोक कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानते थे।

4½

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/2	1/2	1/2	1/4	–	1/4	–
Grade	C	C	C	D	–	C	–

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(b) कौटिल्य की संप्रभुता की धारणा लौकिक धारणा है, न कि धार्मिक धारणा।

Kautilya's concept of Sovereignty is worldly, not religious belief.

हॉलांकि कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में सम्प्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है परन्तु इसमें 'राज्य की सर्वोच्चता' का विचार अवश्य पाया जाता है।

कौटिल्य ने राजनीति को धर्म से पृथक कर राज्य की सर्वोच्चता स्थापित की। उनके मतानुसार राजा की सत्ता सर्वोच्च सत्ता है, वह किसी भी प्रकार की पाबंदी से स्वतंत्र है।

कौटिल्य का सम्प्रभुता के संदर्भ में राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार राज्य वह सर्वोच्च सत्ता है जिसका गठन स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र नामक सात अंगों से हुआ है।

ध्यातव्य है कि इन सात अंगों में स्वामी सर्वोच्च है तथा अन्य सभी उसके अधीनस्थ हैं। पुनः इनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती, अपने परवर्ती अंग से अधिक महत्वपूर्ण है।

ध्यातव्य है कि इनमें किसी भी अंग का संबंध प्रत्यक्षतः धर्म से नहीं है अपितु राज्य का यह सप्तांग स्वरूप व्यावहारिक एवं धर्म से स्वतंत्र है। इस रूप में कौटिल्य की संप्रभुता की धारणा लौकिक है।

हांलाकि कौटिल्य शासक (स्वामी) को धर्मप्रवर्तक मानता है एवं राजा हेतु 4 पुरुषार्थों का पालन आवश्यक मानता है परन्तु अर्थशास्त्र के छठे अध्याय में कहा गया है "राजा राज्यमिति संक्षेप:" अर्थात राजा ही राज्य है। इस रूप में कौटिल्य स्वेच्छावादी सम्प्रभुता का समर्थक एवं 'दैवीय शक्ति' की अवधारणा का विरोधी हो जाता है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(c) आपके दृष्टिकोण में अराजकतावाद शक्ति का अभाव है या व्यवस्था का?

In your view, anarchism is lack of power or system?

सामान्य अर्थ में अराजकतावाद से आशय राज्य, शक्ति या सत्ता का अभाव है। डिकिन्सन के अनुसार अराजकतावाद व्यवस्था का अभाव नहीं है अपितु यह शक्ति, सत्ता या राज्य का अभाव है।

वस्तुतः अराजकतावाद का मानना है कि राज्य या शक्ति का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक है क्योंकि राज्य या शक्ति विभिन्न प्रकार की सीमाओं व पाबंदी आदि के द्वारा मानवीय स्वतंत्रता को सीमित करता है।

इनके मतानुसार चूँकि मनुष्य स्वभावतः विवेकशील, प्रबुद्ध स्वतंत्र एवं शुभत्व युक्त प्राणी है अतः उसकी स्वतंत्रता हेतु उसे शक्ति या राज्य से स्वतंत्र मानना आवश्यक है।

गाँधीजी के अनुसार अराजकतावाद से आशय मनुष्य द्वारा स्वराज प्राप्त करने से है अर्थात मनुष्य द्वारा स्वयं पर शासन करना। मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन कर ऐसा कर सकता है। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वराज प्राप्त हो जाता है तो वस्तुतः राज्य या शक्ति का विचार स्वतः समाप्त हो जाता है और इस प्रकार स्वस्फूर्त व्यवस्था स्थापित हो जाती है।

वस्तुतः व्यवस्था के रूप में एवं शक्ति के अभाव के रूप अराजकतावाद का विचार एक कोरी कल्पना मात्र है, यह व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार में शक्ति का सिद्धांततः उत्तरदायित्व को द्वारा

अराजकतावाद के अर्थ। प्रश्न के संदर्भ में ही उत्तर लिखें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

पूरा करने का माध्यम है। शक्ति के बिना व्यवस्था को नहीं माना जा सकता है क्योंकि शक्ति का अभाव निरकुशता, हिंसा व अव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

1

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	–	½	½	–	–	–	–
Grade	–	D	D	–	–	–	–

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

(d) कानून के अभाव में अधिकार कुछ भी नहीं है, केवल ऐसे अधिकारों के अस्तित्व की आशावादी सोच मात्र है।

Rights without law are nothing, but a wishful thinking for existence of such rights.

प्रस्तुत कथन अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करता है जिसके अनुसार अधिकार के रूप में कोई भी दावा, केवल तभी वास्तव में अधिकार बन सकता है, जब उसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह मानता है कि विधि, कानून एवं राज्य ही अधिकारों का स्रोत है।

इस सिद्धांत के समर्थकों में बेंथम, आस्टीन प्रमुख हैं। बेंथम के अनुसार "अधिकार केवल और केवल कानून के तहत प्राप्त होते हैं, कानून से पहले कोई अधिकार नहीं है, कानून के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है एवं कानून के बाहर कोई अधिकार नहीं है।

वस्तुतः कानूनी मान्यता के अभाव में अधिकारों का पालन संभव नहीं हो सकता है क्योंकि बिना ऐसी सत्ता को माने व्यवहार में अधिकारों का वास्तवीकरण (Realisation) असंभव है।

कमियां

1. कानून को अधिकारों का एकमात्र स्रोत मानना, व्यक्ति के अधिकारों को, पूर्णतया, राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर बना देता है फलतः कानून के दुरुपयोग व अधिकारों से वंचना की संभावना उच्च होती है।

II. यह अधिकारों के केवल कानूनी स्रोत को महत्व देता है, नैतिक एवं सामाजिक पहलुओं को नहीं।

III. चोम्स्की के अनुसार कानून का पालन अब शर्तों के अधीन है। उसे अनन्य नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष – अधिकार वस्तुतः व्यक्ति केन्द्रित अवधारणा

प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार क्यों कर दिया?

संक्षिप्त टिप्पणी वाले उत्तरों में इसकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ग़लत भी नहीं है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

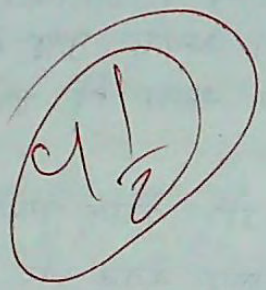

है जिनका लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस रूप में मानव अधिकारों को लागु करने का साधन मात्र है, स्रोत या साध्य नहीं)

4½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1	2	1	1/2	—	—	✓
Grade	B	B	C	D	—		✓

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(e) "राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है।" -हीगेल।
"State is the march of god on Earth." –Hegal.

हीगल के अनुसार अराजकता से बेहतर एक निकृष्टतम राज्य है। वस्तुतः हीगल का विचार राज्य की एकत्ववादी सम्प्रभुता का समर्थक है और राजा को पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण मानता है। इस प्रकार यह राज्य के दैवीय सिद्धांत का समर्थक हो जाता है।

विशेषताएं

i) हीगल के अनुसार राज्य सर्वोच्च सत्ता है। राज्य में शासितों व नागरिकों को केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें शासक स्वीकृति प्रदान करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों व राज्य में विरोध हो ही नहीं सकता।

ii) पुनः चूंकि राजा व राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि व अभिव्यक्ति है। इस रूप में उसके आदेश अंतिम हैं। इस प्रकार हीगल राज्य की सर्वोच्च, असीम, स्थायी, अहस्तांतरणीय, अविभाज्य सम्प्रभुता का समर्थक हो जाता है।

iii) हीगल के इन विचारों का प्रभाव 20 वीं सदी के आरंभ में लेनिन, स्टालिन पर देखा जा सकता है।

(iv) ऐसे राज्यों में शासितों को राज्य के आदेश को स्वीकार या विरोध करने की अनुमति नहीं होती, अपितु वे इसे मानने को बाध्य हैं।

आलोचना

हीगल के उपरोक्त विचार वर्तमान लोकतांत्रिक युग में

संक्षिप्त भूमिका भी लिखें

NEPUNC

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

अव्यावहारिक एवं अप्रासंगिक है। वर्तमान वैज्ञानिक व तर्क प्रधान युग में दैवीय सिद्धांत को नहीं माना जा सकता। पुन: राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य व्यक्ति की आकांक्षाओं का सुविधा प्रदाता है। हॉब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी यदि राज्य अपने अस्तित्व के कारणों की रक्षा करने के उत्तरदायित्व में विफल हो जाता है, तो अनुबंध को समाप्त कर नया अनुबंध करने की अनुमति देता है। वस्तुत: वर्तमान में एकलवादी सम्प्रभुता का विचार अस्वीकार्य है क्योंकि यह युग बहुलवादी संप्रभुता का पोषक है।

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	½	1½	1	½	–	½	–
Grade	C	B	C	C	–	C	–

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(b) अधिकार न तो राज्य द्वारा निर्मित हैं और न ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, बल्कि इसमें तो लंबे समय से चली आ रही प्रथाएँ और अनुष्ठान सम्मिलित हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। 15

Rights are neither created by State nor given by nature, but comprises long observed rithuals and practices. Evaluate critically. 15

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

साधारण अर्थ में अधिकार वस्तुत: व्यक्ति, मनुष्य, नागरिक होने के नाते हमारे वे दावे हैं जिन्हें हम अपना गर्व समझते हैं, समाज से स्वीकृति प्राप्त होती है एवं राज्य से मान्यता प्राप्त होती है। आदर्श अवस्था में अधिकार हेतु इन तीनों का होना आवश्यक है।

परन्तु राजनीतिक दार्शनिक बर्क के अनुसार अधिकार वस्तुत: सामाजिक प्रथाओं एवं सामाजिक परंपराओं का परिणाम है। राज्य की भूमिका केवल उन्हें वैधता देने तक सीमित है।

बर्क के अनुसार "अधिकार प्रथाओं का प्रतिफल" है। बिना प्रथाओं या परंपराओं को अधिकार का आधार माने अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। क्योंकि मानवीय निर्णय किसी भी समय या परिस्थिति में दोषपूर्ण हो सकते हैं। परिवर्तन आमूलचूल न होकर क्रमिक

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

होता है। इसी कारण प्रथाएँ व परंपरायें क्रमिक रूप से धीरे-धीरे विकसित होकर अधिकारों का रूप ले लेती है।

अालोचनात्मक मूल्यांकन

(i) अधिकारों को केवल प्रथाओं व अनुष्ठान का परिणाम नहीं माना जा सकता है क्योंकि अनेक अधिकारों का उद्भव ही प्रथाओं या अनुष्ठानों के विरोध में हुआ है।

उदाहरण: क) छुआछूत के विरुद्ध समाप्ति का अधिकार

ख) महिलाओं को भूमि व संपत्ति अधिकार

(ii) पुनः प्रथाओं व अनुष्ठानों को अधिकार मानने पर सामाजिक सुधार की प्रक्रिया केवल कठिन अपितु असंभव हो जाएगी।

(iii) अधिकार स्वतः व्यक्ति केन्द्रित अवधारणा है, इसे समाज केन्द्रित या प्रथा केन्द्रित नहीं माना जा सकता।

निष्कर्षतः बर्क के उपरोक्त सिद्धांत का महत्व केवल इतना है कि यह सामाजिक प्रथाओं को अधिकारों के एक स्रोत मात्र के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

4

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

खण्ड - B / SECTION - B

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें: 10 × 5 = 50

Answer each of the following in about 150 words:

(a) मिल के लिये स्वतंत्रता अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि एक साध्य को प्राप्त करने का साधन है।

For Mill, Liberty is not and Ends in itself but a mean to an end.

स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल स्वतंत्रता के सकारात्मक व नकारात्मक विचारों को मिलाते हुए प्रतीत होते हैं।
मिल के अनुसार स्वतंत्रता का लक्ष्य समतामूलक एवं न्यायमूलक समाज की स्थापना करना है, स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण व साध्य नहीं है, अपितु यह समतामूलक व न्यायमूलक समाज की स्थापना का साधन मात्र है।
मिल स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार की व्याख्या 'स्वयंसंबद्ध' एवं 'परसंबद्ध' कार्यों के आधार पर करते हैं।

i) मिल के अनुसार स्वयंसंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन को प्रभावित करते हैं, अन्य को नहीं। ऐसे कार्यों के संदर्भ में मिल पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक हैं। राज्य को ऐसे कार्य में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

ii) परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनसे दूसरों का जीवन भी प्रभावित होता है। मिल ऐसे कार्यों के संदर्भ में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानते हैं। राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में ऐसे कार्य अराजकता व अव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

iii) मिल 'हानि सिद्धांत' के माध्यम से अपने विचारों का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समर्थन करते है।

इस प्रकार स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण नहीं है अपितु यह केवल व्यापक सामाजिक हित एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का साधन मात्र है। स्वेच्छातंत्रवादी नागिक इनके विपरीत स्वतंत्रता को अपने आप में साध्य व पूर्ण मानते है। उनके मतानुसार मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार खोखला व भ्रम का आवृत्त है।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/2	1	1	1/2	–	1/2	–
Grade	C	C	C	C	–	C	–

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(b) "संप्रभु किसी अन्य प्रभु के आदेशों के पालन का आदी नहीं हो सकता।" -ऑस्टिन।

"The Sovereign can not be habitual to follow the order of any other Sovereign." -Austin.

ऑस्टिन एकत्ववादी एवं कानूनी सम्प्रभुता के समर्थक है। ऑस्टिन के अनुसार "एक किसी निश्चित मानव श्रेष्ठ के आदेशों का पालन समाज के सभी व्यक्ति करते है तथा वह स्वयं किसी के आदेशों का पालन नहीं करता तो ऐसा निश्चित मानव श्रेष्ठ सम्प्रभु तथा ऐसा समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज होता है।

वस्तुतः ऑस्टिन का उपरोक्त विचार लॉक्की व हॉब्स आदि द्वारा सम्प्रभु पर लगायी गयी दैवीय सीमाओं को हटाता है। ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता मानव में निहित होती है किसी दैवीय प्रतिनिधि में नहीं।

पुनः ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु किसी के भी आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं है। व्यक्तियों को सम्प्रभु के आदेशों को मानने के अलावा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। सम्प्रभुता अहस्तान्तरणीय है।

ऑस्टीन के अनुसार सम्प्रभु में छः विशेषताओं का होना आवश्यक है।

(i) सर्वोच्च/निरपेक्षता
(ii) सार्वभौमिता
(iii) स्थायित्व
(iv) अ-हस्तांतरणीयता
(v) अनन्यता
(vi) अविभाज्यता

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

स्पष्ट है कि ऐसा संप्रभु किसी आदेश को नहीं मान सकता क्योंकि वह स्वयं आदेशों का स्रोत है, सम्प्रभुता कानून का स्रोत है। विधि सम्प्रभु का आदेश है।

~~पहले~~ हालांकि, ऑस्टिन के उपरोक्त विचार सैद्धान्तिक रूप से तार्किक व व्यवस्थित है परन्तु इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि वास्तव में समाज का ढांचा संघीय एवं सम्प्रभुता बहुलवादी होती है। पुनः वैश्वीकरण, बहुपक्षीयता एवं वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में सम्प्रभु के निर्णय अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं।

(1)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1	1/2	1/4	-	-	0
Grade	D	C	C	D			

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(c) समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की संभावना को क्षीण किया है।

Insistence of Equality feebled the possibility of liberty.

वस्तुतः उपरोक्त कथन स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा को प्रतिबिंबित करता है जो मानती है कि समानता व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं।

आरंभिक उदारवादियों, स्वेच्छातंत्रवादियों, व्यक्तिवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता का आशय है - प्रतिबंधों का अभाव। इस प्रकार ये राजनीतिक आदर्श के रूप में स्वतंत्रता से आशय
- राज्य की न्यूनतम भूमिका
- सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप
- प्रतिबंधों के अभाव
- अवसरों की स्वतंत्रता

से मानते हैं।

दूसरी ओर समानता राज्य से सभी व्यक्तियों को न्यूनतम गरिमा एवं अवसरों की समता उपलब्ध कराने हेतु ऐसी परिस्थितियाँ स्थापित करने की माँग करती है जहाँ व्यक्ति बिना बाह्य कारकों से प्रभावित हुए अपनी क्षमताओं को साकार कर सके। इस आधार पर यह विरोधों के प्रति विरोध वरन्, सकारात्मक विभेद का समर्थन आवश्यक मानती थी।

वस्तुतः समानता का ऐसा विचार स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समानता के प्रति आग्रह स्वतंत्रता की संभावना को क्षीण नहीं करता अपितु इसे व्यवस्थित व सुदृढ़ करता है। क्योंकि
→ बिना आर्थिक समानता प्राप्त किए वास्तविक अर्थ में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती।
→ L.T. Hobhouse के अनुसार समानता के बिना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

स्वतंत्रता का विचार वस्तुतः दूषित एवं मलिन विचार है क्योंकि यह अव्यवस्था, असमानता को पैदा करेगा। स्वतंत्रता समानता में ही निहित है। बिना समानता के स्वतंत्रता लाइसेंस मात्र एवं बिना स्वतंत्रता के समानता समरूपता (confirmity) का रूप ले लेगी। दोनों ही रूप अस्वीकार्य एवं अवांछनीय है।

वस्तुतः समानता व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी न होकर पूरक है।

6

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/2	3	2	1/4	-	1/4	
Grade	B	B	B	C		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(d) प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना।

The duty of each person is to respect the right of another.

अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की प्राप्ति व्यवहार्य नहीं हो सकती है।

वस्तुतः कर्तव्य से आशय उन कार्यों को करना है जो करणीय है, एवं उनसे बचना है जो अकरणीय है। दूसरी ओर अधिकार हमारे वे दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति व राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार एक निरपेक्ष अवधारणा न होकर सापेक्षिक अवधारणा है। हमें अधिकार हमेशा किसी के सापेक्ष प्राप्त होते हैं।

यदि हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो हमें हमारे अधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकते। उदाहरणतः यदि मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार स्वीकार होने की स्वतंत्रता देता है तो अन्यों को निजता का अधिकार इससे मनाही का अधिकार देता है। मेरा अपने अधिकार के पालन में यह कर्तव्य बन जाता है कि मैं अन्य के अधिकारों की रक्षा व सम्मान करूं।

गाँधीजी के अनुसार यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो उसे अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

लास्की भी अधिकार व कर्तव्य को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं जिनके अनुसार एक परिस्थिति में व्यक्ति का जो अधिकार है, वही

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

अन्य के लिए कर्तव्य बन जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे।

1

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	–	1/2	1/2	–	–	–	–
Grade	–	c	c	–	–	–	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(e) वह सरकार श्रेष्ठ है, जो सबसे कम शासन करती है।

The best government is that which governs least.

प्रस्तुत कथन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को संदर्भित करता है। वस्तुतः लोकतंत्र में जनता ही शासन का संचालन, निर्देशन एवं कार्यान्वयन करती है। लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन सुनिश्चित करती है।

वस्तुतः इस रूप में लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के हितों की रक्षा करने वाली शासन प्रणाली है। वस्तुतः लोकतंत्र का यह स्वरूप शासन में अधिकतम भागीदारी, शक्ति का विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व, असहमति, शांतिपूर्ण विरोध, जनसहमति आदि तत्वों का समावेशन आवश्यक मानती है।

इस रूप में शासन एकदिशीय न होकर द्विरूपात्मक, उभयपरक एवं बहुदिशधारी दृष्टिकोण लिये होता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी व विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन को बढ़ावा सरकार की न्यूनतम भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है क्योंकि वस्तुतः राज्य या सरकार जनता की आकांक्षाओं की सुविधा प्रदाता मात्र है, निर्धारक नहीं।

इस रूप में 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' सरकार श्रेष्ठता का मापदंड बन जाता है जो शासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक परामर्श, भागीदारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहमति व लोकोन्मुखी शासन तत्व शामिल करता है। स्पष्टतः ऐसी सरकार में परस्पर

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

नियंत्रण व संतुलन के कारण शक्ति का विकेंद्रीकरण व संतुलन सुनिश्चित होता है। इस रूप में वही सरकार श्रेष्ठ है, जो सबसे कम शासन करती है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	–	1/2	1/2	–	–	–	–
Grade	–	D	D	–	–	–	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(c) उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार और अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत का शब्दशः पालन करता है? 15

There are no rights without duties and no duties without rights. Do you think Indian constitution adheres to this principle in letter and spirit? 15

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अधिकार व उत्तरदायित्व परस्पर पूरक है। लास्की के अनुसार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

- अधिकार व उत्तरदायित्व में प्रथमतः उद्देश्य की समानता है दोनों का उद्देश्य समतापूर्ण एवं न्यायसंगत समाज की स्थापना हेतु ऐसी परिस्थितियाँ बनाना है जहाँ

क) व्यक्ति के अधिकार, अन्यों के प्रति उसके कर्तव्य है।
- स्वयं के अधिकार का प्रयोग करते हुए अन्यों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है।

ख) व्यक्ति के अधिकार, स्वयं के प्रति उसके कर्तव्य है।
- वह अधिकारों का जिम्मेदारीपूर्ण पालन करने हेतु बाध्य है।

अधिकार व उत्तरदायित्व

ग) व्यक्ति के अधिकार, राज्य द्वारा राज्य के कर्तव्य पालन पर निर्भर है।
- व्यक्ति के अधिकार, राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की प्राप्ति के अनुकूल परिस्थितियाँ सृजित करने पर निर्भर है।

घ) राज्य द्वारा अधिकारों की प्रदायगी, व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन पर निर्भर है।
- व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन से राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप में बिना किसी बाह्य प्रभाव के साकारित कर सके।

भारतीय संदर्भ :-

भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अधिकार प्रदत्त है। (i) मूलाधिकार (ii) संवैधानिक (विधिक) अधिकार
मूलाधिकारों के संदर्भ में इन्हें कर्तव्यों पर स्पष्ट वरीयता दी गई है। क्योंकि जहाँ संविधान के भाग 4क में शामिल मूल कर्तव्य वादयोग्य एवं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, वहीं मूलाधिकार वादयोग्य एवं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
हालांकि अनुच्छेद 38 व 39 के संदर्भ में इन्हें अनुच्छेद 14, 19, 21 में शामिल मूलाधिकारों पर वरीयता दी गई है।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों से कर्तव्यों के पालन की चेष्टा करता है। वह संसद को इस संदर्भ में कानून बनाकर दंड/जुर्माना आदि का भी अधिकार देता है।

हालांकि व्यवहार में भारतीय संदर्भ में अधिकार, कर्तव्यों पर अधिक प्रभावी रहे हैं जिसकी अभिव्यक्ति हाल ही में मॉब-लिंचिंग, सार्वजनिक व्यवस्था में अवरोध, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं में देखी जा सकती है।

वस्तुतः सैद्धान्तिक तौर पर मूलाधिकारों व राज्य के

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढाँचे का अंग माना गया है परन्तु व्यवहार में उसकी परिणति अभी बाकी है।

6

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	3	2	1/2	-	1/4	-
Grade	C	B	-	C	-	D	-

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय)

प्रश्न पत्र- द्वितीय

[सामाजिक और राजनीतिक दर्शन: समानता, न्याय, स्वतंत्रता; संप्रभुता: ऑस्टिन, बोदाँ, लॉस्की, कौटिल्य; व्यक्ति और राज्य: अधिकार, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व]

निर्धारित समय: तीन घंटे Time Allowed: Three Hours	अधिकतम अंक : 250 Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा **हिंदी** एवं **अंग्रेजी** दोनों में मुद्रित हैं।

उम्मीदवार को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 **अनिवार्य** हैं तथा बाकी प्रश्नों में से **प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न** चुनकर किन्हीं **तीन प्रश्नों** के **उत्तर** दीजिये।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिये जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and **English** Language.*

*Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.*

*Questions nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.*

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (Q.C.A.) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Copyright – Drishti The Vision Foundation